न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–65 / 2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
मांगी बानो पत्नी बाबू खां जाति तेली मुसलमान निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.रेखाराम पुत्र देवाराम जाति जाट 2.सवाईराम पुत्र अखाराम जाति जाट निवासी दानपुरा तहसील गिड़ा 3.मोहरो पत्नी मानाराम जोगसन जाति मेगवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर 6.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–11.1.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1263 / 13 रकबा 5.00 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 05.5.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को [illegible] पर [illegible]कारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु [illegible] हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अन[illegible] मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

..सार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा जेरला तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1263/13 रकबा 05-00 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	.मांगी बानो पत्नी बाबू खां तेली नि. बालोतरा	जैरला	1263/13	0.1619	बा.दो.	0.16	नक्शे में दर्शित अनुसार
	योग						
2	मोहरो देवी पत्नी मानाराम जोगासन हिस्सा 3/8 जाट सा. दानपुरा तह. बायतू रेखाराम पुत्र देवाराम हि 1/4 जाट सा. दानपुरा सवाईराम पुत्र अखाराम हि 3/8 जाट सा. दानपुरा तहसील बायतू खातेदार	जैरला	1263/13	0.6475	बा.दो.	0.64	नक्शे में दर्शित अनुसार
	योग						

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.01 15:31:49 IST
Reason: SelfAttested